

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
तीवारी अधिकारी :- श्री भागीरथ राम चौधरी आर.ए.एस.

20/2025

रागवन्द पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।  
रागेश्वरलाल पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।  
:-प्रार्थीगण

**बनाम्**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- 1 राजाराम पुत्र निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 2 हंसराम पुत्र निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 3 पिथाराम पुत्र निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 4 शांति पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 5 भागीरथ पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 6 रामसिंह पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 7 श्रीचन्द्र पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 8 इन्द्रपाल पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
- 9 प्रताप पुत्र फुली पुत्री निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा  
हाल फुलकां तहसील सिरसा।
- 11 सुरेन्द्र पुत्र फुली पुत्री निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा  
हाल फुलकां तहसील सिरसा।
- 12 रविन्द्र पुत्र फुली पुत्री निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा  
हाल फुलकां तहसील सिरसा।
- 13 गुड्डी पुत्री फुली पुत्री निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा  
हाल फुलकां तहसील सिरसा।
- 14 सरोज पुत्री फुली पुत्री निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा  
हाल फुलकां तहसील सिरसा।
- 15 चन्दी पुत्री निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा हाल ढाबी  
तहसील भट्टू हरियाणा।
- 16 सन्तरों देवी पत्नी लिखमा पुत्र निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील  
भादरा
- 17 चानण पुत्र लिखमा पुत्र निराणा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा
- 18 टोडर पुत्र सूरजा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा
- 19 दलीप पुत्र लालू पुत्र सूरजा जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा
- 20 सावित्री पुत्री लालू जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा
- 21 जुगलाल पुत्र बालू जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा
- 22 रामकुमार पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा
- 23 रामबाई पुत्री टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा
- 24 इन्द्रा पुत्री टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी तहसील भादरा



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

- 28 लीलावती पत्नी लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 29 कोलर पत्नी कैलाश पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 30 शंभु पुत्री कैलाश पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 31 कमल पुत्र कैलाश पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 32 विमला पत्नी कुन्दन पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 33 अनमोल पुत्र कुन्दन पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 34 सुनीता पत्नी विनोद पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 35 मुकेश पुत्री विनोद पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 36 मनीष पुत्र विनोद पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 37 पंकज पुत्र विनोद पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 38 विवेक पुत्र विनोद पुत्र लीलू पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 39 मेवा पत्नी मोती पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 40 आत्माराम पुत्र मोती पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 41 मिथून पुत्र मोती पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 42 सन्तोष पुत्री मोती पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा  
 43 जमना पुत्री मोती पुत्र टीकू जाति मेघवाल निवासी गांधीवडी तहसील भादरा

:-अप्रार्थीगण



प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती  
 अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरेवेन्यू एक्ट  
 उपस्थिति :-श्री विनोद सिंगाठिया प्रार्थी  
 राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 06.04.2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं० 37 के मु० न० 95 के किला न० 23, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी भूमि निराणा, टीकू, सूरजा, बालू पि० फता के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हुआ करती थी चक 6 एसडीआर के खाता सं० 188/132 के मु० न० 95 के किला न० 23, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं० 5 ता 9 के पिता काशी, सूरजा के पुत्र गोपाल, अप्रार्थी सं० 17 चानण, अप्रार्थी सं० 22 जुगलाल, अप्रार्थी सं० 18 टोडर, अप्रार्थी सं० 4 पीथाराम, निराणा की पत्नी मूली, अप्रार्थी सं० 2 राजाराम, अप्रार्थी सं० 19 व 20 के पुत्र

अधिकारी (राजस्व)  
 जिला-भुमानगर

अप्रार्थी सं० 10 सन्तरो, अप्रार्थी सं० 3 हंसराम के नाम से गलत हक हिस्सा  
में दर्ज है।

राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत् 2041 की जमावंदी तैयार करते समय उपरोक्त  
में से टीकू बन्द फता का नाम सहयन से भूलवंश जमावंदी में अंकन दर्ज  
गया। चूंकि राजस्व रिकार्ड लैण्ड रिकार्ड एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे अपडेट  
अप्रार्थी सं० 1 का कानूनी अधिकार है वर्तमान जमावंदी -संवत् 2073 से 76  
में अप्रार्थी सं० 5 ता 9 के पिता काशी के नाम दर्ज 1/21 हिस्सा,  
सुरजा के नाम 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 17 चानण के नाम 1/21 हिस्सा,  
जुगलाल के नाम 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 18 टोडर के नाम 1/9 हिस्सा,  
पीथाराम के नाम 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 2 राजाराम के नाम 1/21 हिस्सा,  
19, 20 के पूर्वज लालू के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 16 सन्तरो के नाम  
अप्रार्थी सं० 3 हंसराम के नाम 1/21 हिस्सा गलत हक व हिस्सा दर्ज हुआ है  
सं० 1 व 2 प्रत्येक 1/28-1/28 हिस्सा व अप्रार्थी सं० 22 ता 24  
पर प्रार्थीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 25 ता 35 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी  
1/28-1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 2 ता 4 प्रत्येक 1/28 हिस्सा,  
संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 2 ता 4 प्रत्येक 1/28 हिस्सा,  
सं० 5 ता 9 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 10 ता 14 संयुक्त रूप से  
अप्रार्थी सं० 15 का 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 16, 17 संयुक्त रूप से 1/28  
अप्रार्थी सं० 18 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 19, 20 संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा,  
सं० 21 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त  
की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब  
गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा द्वारा रिपोर्ट पेश की  
व प्रतिवादी सं० 2 ता 40 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवाई गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि चंक 6  
सहीआर के खाता सं० 138/132 के मु० न० 95 के किला न० 23, 24, 25 प्रत्येक किला की  
कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान  
संवत् 2073 से 76 के खाता सं० 138/132 में अप्रार्थी सं० 5 ता 9 के पिता काशी  
के नाम दर्ज 1/21 हिस्सा, सुरजा पुत्र गोपाल के नाम 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 17 चानण  
के नाम 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 22 जुगलाल के नाम 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 18 टोडर  
के नाम 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 4 पीथाराम के नाम 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 2 राजाराम  
के नाम 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 19, 20 के पूर्वज लालू के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी  
सं० 16 सन्तरो के नाम 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 3 हंसराम के नाम 1/21 हिस्सा गलत  
हक व हिस्सा दर्ज हुआ है के स्थान पर प्रार्थीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक 1/28-1/28 हिस्सा व  
अप्रार्थी सं० 22 ता 24 प्रत्येक 1/28-1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 25 ता 35 संयुक्त रूप से  
1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 36 ता 40 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 2 ता 4  
प्रत्येक 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 5 ता 9 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 10 ता  
14 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 15 का 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 16, 17  
संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 18 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 19, 20 संयुक्त  
रूप से 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 21 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे  
ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत  
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार

उपस्थितिकारी (राजस्व,  
सहायक-इमानगढ़)

आतः रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी एकीकार योग्य होने के कारण एकीकार

आतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एनआरएक्ट एकीकार किया जाकर  
भादरा को आवेशित किया जाता है कि वे बक 6 एनडीआर के खाता सं०  
को मु० न० 95 के किला न० 23, 24, 26 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल 0.769है०  
लाशे कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान जमावदी संवत् 2073 से  
ता सं० 138/132 में अप्रार्थी सं० 5 ता 9 के पिता काशी के नाम दर्ज 1/21  
एजा पुत्र गोपाल के नाम 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 17 चानण के नाम 1/21  
प्रार्थी सं० 22 जुगलाल के नाम 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 18 टोडर के नाम 1/9,  
प्रार्थी सं० 4 पीथाराम के नाम 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 2 राजाराम के नाम 1/21  
प्रार्थी सं० 19, 20 के पूर्वज लालू के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 16 सन्तरी  
1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 3 हंसराम के नाम 1/21 हिस्सा गलत हक व हिस्सा  
है के स्थान पर प्रार्थीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक 1/28-1/28 हिस्सा व अप्रार्थी सं०  
4 प्रत्येक 1/28-1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 25 ता 35 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा,  
सं० 36 ता 40 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 2 ता 4 प्रत्येक 1/28  
अप्रार्थी सं० 5 ता 9 संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 10 ता 14 संयुक्त रूप  
28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 15 का 1/28 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 16, 17 संयुक्त रूप से  
हिस्सा, अप्रार्थी सं० 18 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 19, 20 संयुक्त रूप से 1/8  
अप्रार्थी सं० 21 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर राजस्व  
दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही  
तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(भागीरथ राम)  
उपप्रमुख अधिकारी (राजस्व) | R.A.S  
भादरा (खण्ड अधिकारी) (राजस्व)  
भादरा जिला दनुमानगढ़